न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी **शिवांगी स्वर्णकार**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2018(रसद)
पंजीयन दिनांक 16.07.2018

राज्य सरकार जरिए हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़

..................प्रार्थी

बनाम

श्री राजू पिता रामलाल गायरी निवासी जाफरखेडा, तहसील चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़

................विपक्षी

आवेदन अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत 6ए में जब्तशुदा सामग्री का निस्तारण कराने बाबत।

उपस्थितिः– 1–श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 06.08.2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.05.2017 को पुलिस उप अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त सूचना के आधार पर वन्दना खोरवाल जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़, श्री सुरेश कुमार खटीक उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ एवं प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक मौके पर धनगर होटल के सामने पहुंचे। कॉन्स्टेबल श्री दुर्गाशंकर व श्री मेघराज द्वारा एक ऑटो जिसका नम्बर RJ 09 GB 1339 को डिटेन कर रखा था। मौके पर ऑटो का निरीक्षण किया गया। ऑटो में एक व्यक्ति बैठा हुआ पाया गया पूछताछ करने पर उसने अपना नाम राजू पिता रामलाल गायरी बताया। ऑटो में 4 ड्रम जिनमे से 3 लोहे के एवं 1 प्लास्टिक का होना पाया गया। उक्त ड्रमों को मौके पर खोला गया तो उसमें पेट्रोलियम पदार्थ भरा पाया गया जिसे डीप से नापने पर उक्त ड्रमों में कुल 570 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया है। ऑटो चालक राजू गायरी से पूछताछ पर उसने बताया कि उक्त ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ है जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले टैंकरों से खरीदा गया है तथा इसको लोगों को बेचने के लिए काम में लेते हैं। इस बाबत ऑटो चालक से दस्तावेज लाईसेंस मांगने पर दस्तावेज नहीं होना स्वीकार किया गया। उक्त ड्रमों से नमूने लिये गये। इस प्रकार श्री राजू पिता

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 02/2018 (रसद)
राज्य सरकार जरिए हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ बनाम श्री राजु गायरी निवासी जाफरखेड़ा

रामलाल गायरी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित राजस्थान पेट्रोलियम पदार्थ आदेश 1990 व आई. पी. सी. की धारा 379 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा 570 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम राजसात करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अतः बहस प्रकरण सुनी गई।

प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़, पैरोकार सरकार ने आवेदन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी द्वारा इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टेंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोल-डीजल की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

हमने प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। विपक्षी राजू पिता रामलाल गायरी निवासी जाफरखेडा मौके पर अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद फरोक्त करते पाया तथा उसके ऑटो में 4 ड्रमों में (3 लोहे के ड्रम व 1 प्लास्टिक का ड्रम) कुल 570 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मौके पर पाया गया तथा अपने कब्जे में पेट्रोलियम पदार्थ रखने, व्यापार करने के संबंध में कोई दस्तावेज, अनुज्ञापत्र व लाईसेन्स नहीं होना पाया गया।

इस प्रकार विपक्षी द्वारा इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टेंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना तथा उनकी कालाबाजारी करना सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 570 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय 4 ड्रमों के (3 लोहे व 1 प्लास्टिक ड्रम) राजसात किये जाने योग्य है।

अतः दिनांक 01.05.2017 को जब्तशुदा 570 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय 4 ड्रमों को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा 570 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम को थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़